तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर./2061/2004/जैसलमेर मु. घाई बाई बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री योगेन्द्रसिंह, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्रीमती पूनम माथुर, अति.राजकीय अधिवक्ता,प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक 06.01.2021

अपीलार्थीगण ने यह अपील धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जैसलमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21–05–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर उपनिवेशन, तहसीलदार, नाचना प्रथम ने चक नम्बर 12 डब्ल्यूडी के मु0न0 207/26 रकबा 02बीघा 15बिस्वा, मु0न0 207/34 में रकबा 01बीघा 05बिस्वा एवं मु0न0 207/33 में रकबा 04बीघा 05बिस्वा कुल रकबा 08बीघा 05बिस्वा भूमि पर मीरमोहम्मद द्वारा अतिक्रमण कर काश्त करने पर उसके विरूद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 22 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 15–3–2004 से बेदखली व शास्ती के आदेश पारित किये। इस निर्णय के विरूद्ध मीरमोहम्मद ने अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 23–04–2004 से स्वीकार कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित करते हुए तहसीलदार के समक्ष दिनांक 01–05–2004 को उपस्थित होने की पेशी नियत की। प्रतिप्रेषित निर्णय की अनुपालना में तहसीलदार द्वारा दिनांक 01–05–2004 प्रकरण पेशी में नियत किया एवं विपक्षी उक्त

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर./2061/2004/जैसलमेर मु. घाई बाई बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दिवस को उपस्थित आया किन्तु कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किये गये, जिस पर तहसीलदार द्वारा पूर्ववर्ती निर्णय दिनांक 15–03–2004 को यथावत रखने का आदेश दिनांक 01–05–2004 को पारित किया। इस निर्णय के विरूद्ध मीर मोहम्मद की ओर से अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जैसलमेर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 21–05–2004 से खारिज कर दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह अपील प्रस्तुत की है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है प्रतिप्रेषित निर्णय की अनुपालना में तहसीलदार ने सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किये बिना तथा विपक्षी को अपने पक्ष में साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना विवादित आराजी से बेदखली का आदेश पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अपीलार्थीगण का विवादित आराजी पर कब्जा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व तत्कालीन जागीरदार भीकमकौर के काश्तकार की हैसियत से चला आ रहा था। वरवक्त बन्दोबस्त उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि घोषित हो जाने से पर्चा बन्दोबस्त जारी नही किया गया। उनका कथन है कि उपखण्ड अधिकारी, पोकरण के समक्ष विवादित आराजी बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15एएए के तहत प्रकरण विचाराधीन है, जब तक अपीलार्थीगण के हक अन्तिम रूप से निर्णीत नहीं हो जाये अपीलार्थीगण को धारा 22 उवपनिवेशन अधिनियम के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर./2061/2004/जैसलमेर मु. घाई बाई बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तहत बेदखल नहीं किया जा सकता। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी सरसरी तौर पर प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिया, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किये है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णयों को निरस्त किया जावे।

योग्य अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि मीर मोहम्मद विवादित आराजी पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज काश्त है, जिसे नियमानुसार विवादित आराजी से बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया गया है। उनका कथन है कि प्रतिप्रेषित निर्णय में अतिक्रमी को दिनांक 1-5-2004 को तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर सबूत पेश करने हेतु पाबन्द किया गया था। अतिक्रमी तहसीलदार के समक्ष उक्त दिवस को उपस्थित हुआ किन्तु उसकी ओर से कोई सबूत पेश नहीं किये जाने पर पूर्ववर्ती निर्णय को तहसीलदार द्वारा यथावत रखा गया है। उनका कथन है कि तहसीलदार ने नियमानुसार कार्यवाही करते हुए विवादित आराजी से बेदखल किये जाने, शास्ती अधिरोपित किये जाने का विधिसम्मत् निर्णय पारित किया, जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा भी यथावत रखा गया। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए निगराधीन निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर./2061/2004/जैसलमेर मु. घाई बाई बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर उपनिवेशन, तहसीलदार, नाचना प्रथम ने चक नम्बर 12 डब्ल्यूडी के मु0न0 207/26 रकबा 02बीघा 15बिस्वा, मु0न0 207/34 में रकबा 01बीघा 05बिस्वा एवं मु0न0 207/33 में रकबा 04बीघा 05बिस्वा कुल रकबा 08बीघा 05बिस्वा भूमि पर मीरमोहम्मद द्वारा अतिक्रमण कर काश्त करने पर उसके विरूद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 22 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 15–3–2004 से बेदखली व शास्ती के आदेश पारित किये। तहसीलदार द्वारा पारित उक्त निर्णय के विरूद्ध मीरमोहम्मद ने अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 23–04–2004 से स्वीकार कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित करते हुए तहसीलदार के समक्ष दिनांक 01–05–2004 को उपस्थित होने की पेशी नियत की। प्रतिप्रेषित निर्णय की अनुपालना में तहसीलदार द्वारा दिनांक 01–05–2004 प्रकरण पेशी में नियत किया। विपक्षी मीरमोहम्मद उक्त दिवस को तहसीलदार के समक्ष उपस्थित हुआ किन्तु उसकी ओर से कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किये जाने पर तहसीलदार द्वारा पूर्ववर्ती निर्णय दिनांक 15–03–2004 को यथावत रखने का आदेश दिनांक 01–05–2004 को पारित किया। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार के समक्ष विपक्षी मीरमोहम्मद को सुनवाई का अवसर प्राप्त हुआ किन्तु उसके द्वारा कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किये जाने पर पूर्ववर्ती निर्णय को यथावत रखा गया। प्रस्तुत प्रकरण में योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने हमारे समक्ष अथवा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे विवादित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर./2061/2004/जैसलमेर मु. घाई बाई बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आराजी पर जागीरदार के समय से काबिज काश्त होना प्रमाणित हो। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। जहां तक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15–एएए के तहत विवादित आराजी बाबत् प्रकरण विचाराधीन होने का कथन किये प्रश्न है, यदि समक्ष न्यायालय में ऐसा कोई प्रकरण विचाराधीन हो तो उसके शीघ्र निस्तारण के निर्देश प्रदान किये जाते है।

परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णयों को यथावत रखा जाता है।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे।

पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार शर्मा)
सदस्य